प्रेस नोट **दिनांक 02.10.2025**

मोबाइल हैक करके यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड किये गये अन्जान व्यक्ति द्वारा 99900/- (निन्यानवे हजार नौ सौ) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति द्वारा मोबाइल हैक करके फ्रॉड की गयी धनराशि 99900 (निन्यानवे हजार नौ सौ) पीडित सुनील सरोज पुत्र श्रीनाथ सरोज निवासी सरवां थाना सरायलखंसी जनपद मऊ आवेदक की कुल धनराशि 99900 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0नि0 पंकज पाण्डेय थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. नोडल उ0नि0 नयन वर्णवाल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
3. म0उ0नि0 कोमल कसौधन थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
4. क0 आ0 आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
5. म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

वध हेतु जा रहे 02 राशि गोवंश व 02 अदद पिकअप बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.10.2025 को समय करीब 14:15 बजे थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गोफा नहर की पुलिया पास से अभियुक्त 1.विजेन्द्र मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा निवासी मिश्रपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 2.कुलदीप सिंह पुत्र भीसम सिंह निवासी अक्षयवट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 3.सुभाष यादव पुत्र राजमन यादव निवासी उसुरकुढवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ 4.संतोष गोस्वामी पुत्र नरोत्तम गोस्वामी निवासी उसुरकुढवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ के कब्जे से वध हेतु ले जा रहे 02 राशि गोवंश व 02 अदद पिकअप बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 483/2025 धारा 3/5क/8 गोवध अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. विजेन्द्र मिश्रा पुत्र रामजी मिश्रा निवासी मिश्रपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
2. कुलदीप सिंह पुत्र भीसम सिंह निवासी अक्षयवट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
3. सुभाष यादव पुत्र राजमन यादव निवासी उसुरकुढवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।
4. संतोष गोस्वामी पुत्र नरोत्तम गोस्वामी निवासी उसुरकुढवा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

बरामदगी–

1. दो राशि गोवंश पशु।
2. 03 अदद् सैमसंग मोबाईल व एक अदद् आईटेल की पैड मोबाइल।
3. 2000/रु0 नगद।
4. 02 पिकप वाहन संख्या- UP50ET7104 व UP50DT1022।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 सूरज सिंह

3. उ0नि0 प्रकाश कुमार
4. का0 शैलेष कोरी
5. का0 धर्मपाल भारती
6. का0 धर्मेन्द्र यादव
7. का0 विकाश वर्मा

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.010.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त, रामनिवास सहनी पुत्र गोपाल सहनी निवासी बल्लीपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ व थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र रामविजय सिंह निवासी सद्दोपर थाना मु0बाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 02.10.2025 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय एण्टी रोमियो टीम के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमणशील होकर स्कूल / कालेज , मन्दिर ,मस्जिद व चौराहो पर चेकिंग किया गया जिसमें 02 पहिया वाहन पर तेज रफतार ,मनचले लड़के व स्टण्टबाजी करते हुये मोटरसाइकिल सवारों, स्कूल की लड़कियों को परेशान करने वाले तथा विद्यालय के आस-पास स्टंट करने वालो की चेकिंग की गयी। तीन सवारी बैठकर तेज गति व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने वाले तथा स्कूल के आसपास आने जाने वाली लड़कियों को देखकर हरकते करने वालो के विरूद्ध विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

जिसमें जनपद के समस्त थानों द्वारा चेकिंग संदिग्ध रुप से घूमते पाये गये 340 शोहदो को चेतावी दी गई के दौरान 196 बन्ध पत्र भरवाये गये उसी क्रम में वाहन चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान गलत पाये जाने पर 147 गाडियों का चालान तथा 02 वाहन सीज किया गया।

थानावार कार्यवाही निम्नवत है।–

1. थाना दक्षिण टोला- चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को परिवारजन को बुलाकर 145 को चेतावनी दिया गया। 68 का बन्ध पत्र भरवाये गये। उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी। दौराने चेकिंग अवैध पाये जाने पर 23 वाहनों का चालान किया किया गया।
2. थाना मुहम्मदाबाद– चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को परिवारजन को बुलाकर 60 लोगो कोचेतावनी दी गयी, 20 का बन्ध पत्र भरवाये गये तथा 30 वाहनो का चालान किया गया।
3. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा-- चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को परिवारजन को बुलाकर 195 को चेतावनी दिया गया। 45 का बन्ध पत्र भरवाये गये।

उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी । दौराने चेकिंग अवैध पाये जाने पर 82 वाहनों का चालान किया किया गया तथा 01 का एंटीरोमियों के तहत निरोधत्माक कार्यवाही की गयी ।

4. थाना मधुबन पुलिस द्वारा- एंटीरोमियों के तहत 18 लोगों का बन्ध पत्र भरवाया गया उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी जिसमें 05 वाहनों का चालान व 02 वाहन सीज किया गया।
5. थाना हलधरपुर –चेकिंग के दौरान सन्दिग्ध रुप से घूमते हुए पाये गये शोहदो को 45 का बन्ध पत्र भरवाये गये । उसी क्रम मे वाहन चेकिंग की गयी । दौराने चेकिंग अवैध पाये जाने पर 07 वाहनों का चालान किया किया गया